

06/10/25

પરિવારો મમ અધિકમ્ત્વ ઉપસ્થિત । મુલ્કિય
મમ અધિકમ્ત્વ વર અજ્ઞાત ઉપસ્થિત । સાક્ષ્ય

दिनांक

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

परिवर्ती को जवाब उपर परन्तु पक्षकारों के
मध्य लैवित अन्य कारणों में साक्ष्य लेखबद्ध
की जाने में न्याय लागू नहीं हुआ। परिवर्ती को
साक्ष्य हेतु मागामी पेशी के लिए पारिवर्तित
जाता है। अधिकारिता मुक्ति का कारण रूप से
छिरट हेतु उपस्थित रहे। पक्षकारी वादों
साक्ष्य परिवर्ती दिनांक १६/०७/१९ को पेश हो

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली